

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- महाराजगंजलड़की को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – दि० -06.11.22 को थाना महाराजगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी की बहन की लड़की घर से कहीं चली गयी जो अभी तक वापस नहीं जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 421/22 धारा 363/366 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचना से अभियुक्त उमेश विश्वकर्मा पुत्र राजाराज विश्वकर्मा ग्राम राजेसरिहारपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर उम्र 21 वर्ष के द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया था जिसके आधार पर उमेश विश्वकर्मा उपरोक्त मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया है।

2. गिरफ्तारी की विवरण –दिनांक- 30.05.2023 उ०नि० सुबाषचन्द्र दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त उमेश विश्वकर्मा पुत्र राजाराज विश्वकर्मा ग्राम राजेसरिहारपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर उम्र 21 वर्ष को भैरोबाबा मंदिर के पास पुल से समय करीब 06.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 421/22 धारा 363/366 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. उमेश विश्वकर्मा पुत्र राजाराज विश्वकर्मा ग्राम राजेसरिहारपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर उम्र 21 वर्ष गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ०नि० सुबाषचन्द्र दुबे हे०का० परमात्मानन्द यादव थाना महाराजगंज, आजमगढ़।

थाना निजामाबादअवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तारगिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 29.05.2023 को उ०नि० सुल्तान सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र महेन्द्रनिजामाबाद -गौसपुर थाना- आजमगढ़ को नहर पटरी मोहम्मदपुर रोड से समय -जनपद करीब 20 .30 बजे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद प्रतिबन्धित कट्टा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 241/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं०- 241/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं०- 396/22 धारा 379/भादवि 411 थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

आशीष कुमार पुत्र महेन्द्र गौसपुर थानावर्ष 25 आजमगढ़ उम्र -निजामाबाद जनपद -

बरामदगी-

एक अदद कट्टा नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ०नि० सुल्तान सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना रौनापार

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - दिनांक 21.05.2023 को वादी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त नितेश यादव पुत्र शेषनाथ यादव सा0 गाँधीनगर गांगेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने परिवार के साथ साजिश करके वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा कहीं भगा ले जाया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/2023 धारा 363/366/120बी/376 भा.द.वि. बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण आज दिनांक 29.05.2023 उ0नि0 जयशंकर प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नितेश यादव पुत्र शेषनाथ यादव सा0 गाँधीनगर गांगेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को भोतपुर तिराहे से समय करीब 07.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 155/2023 धारा 363/366/120बी/376 भा.द.वि. व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 155/2023 धारा 363/366/120बी/376 भा.द.वि. व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नितेश यादव पुत्र शेषनाथ यादव सा0 गाँधीनगर गांगेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- उ0नि0 जय शंकर प्रसाद मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना रौनापार

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण -

थानाध्यक्ष राम प्रसाद बिन्द थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 29.05.2023 को मु0अ0सं0 168/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1. राजेश मौर्या पुत्र स्व0 रामबली मौर्या सा0 भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. दुलारे राम पुत्र रामशब्द सा0 महडौर का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 3. मानकेश्वर पुत्र रामसूरत राम सा0 चक्की हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 4. प्रकाश उर्फ डाक्टर पुत्र सनेही सा0 महडौर का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 5. धनन्जय यादव पुत्र लालमन सा0 बनकटा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 6. अंगद यादव पुत्र रामअवध सा0 गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 29.05.2023 थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द मय हमराह द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त धनन्जय यादव पुत्र लालमन निवासी बनकटा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ भैंसाड पुल के पास से समय करीब 06.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 168/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 168/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 749/22 धारा 406/504/506 भा.द.वि. थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 750/22 धारा 411/414/420/467/468/471 भा.द.वि. थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 751/22 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 420/22 धारा 34/406/506 भा.द.वि. थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

धनन्जय यादव पुत्र लालमन निवासी बनकटा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष राम प्रसाद बिन्द मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

गोवध, हत्या, लूट, डकैती व चोरी से सम्बन्धित कुल 06 गैंग पंजीकृत किये गये

दिनांक- 30.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा गोवध, हत्या, लूट, डकैती व चोरी से सम्बन्धित कुल 06 गैंग पंजीकरण कराया गया। जिसमें गोवध से 18 व आपराधिक से 06 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उपरोक्त गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है।

►पंजीकृत गैंग का विवरण निम्नवत है-

► 1- अभियुक्त दीपक यादव पुत्र नरेश यादव निवासी मालपार थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए हत्या, लूट, डकैती व चोरी करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (आपराधिक गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- "डी- 162" होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. दीपक राजभर पुत्र अरविन्द राजभर निवासी इरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष।
2. कुलदीप उर्फ कवलदीप पुत्र दयाराम निवासी भरथीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष।
3. दिनेश कुमार पुत्र नरेन्द्र प्रसाद निवासी भरथीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष।
4. आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना निवासी कस्बा देवगाँव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष।
5. अंशिका पुत्री मोलई यादव निवासी मन्नीपुर सहडौली थाना गोला जनपद गोरखपुर।

► 2- अभियुक्त मोबीन अहमद पुत्र स्व0 जमालुद्दीन निवासी रन्खाना का पूरा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 48 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गोवध जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (गोवध गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- "डी- 163" होगा। जिसके सदस्य हसन अब्बास पुत्र इब्ने हसन निवासी जफराबाद थाना जलालपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष जनपद आजमगढ़ है।

► 3- अभियुक्त भुचल्ला उर्फ अमजद खां पुत्र बाबू उर्फ बच्चन खान निवासी खालिसपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गोवध जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (गोवध गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- "डी- 164" होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. काजू उर्फ सुभान पुत्र मनुउल्लाह निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
2. संतोष यादव पुत्र स्व0 गुलाब निवासी सेवरा कुण्ड, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

► 4- अभियुक्त आमिर पुत्र इस्तेयाक निवासी कसाई मोहल्ला (पठान टोला), कस्बा सरायमीर, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गोवध व गो-तस्करी जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी

अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (गोवध गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी- 165” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. माजिद पुत्र इस्तियाक निवासी कसाई मोहल्ला कस्बा सरायमीर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
2. मिन्टू उर्फ फहीम अहमद निवासी पठान टोला मोहल्ला कस्बा सरायमीर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
3. कय्यूम पुत्र फारूक निवासी पठान टोला मोहल्ला कस्बा सरायमीर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

➡ 5- अभियुक्त नूर आलम पुत्र मु0 नईम निवासी बरहतिर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गोवध जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (गोवध गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी- 166” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. शाल आलम उर्फ लैला पुत्र हन्नान निवासी बरहतिर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
2. जावेद उर्फ कल्लू पुत्र एकबाल, निवासी बरहतिर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
3. सलाऊ उर्फ सलाउदीन पुत्र मो0 सेराज उर्फ सेराजुद्दीन, निवासी बरहतिर जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

➡ 6- अभियुक्त दिलशाद पुत्र स्व0 आसमोहम्मद निवासी रकबा पवई, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गोवध जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (गोवध गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी- 167” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. जुबैर उर्फ जैश उर्फ मोवस्सिर पुत्र खुर्शीद निवासी रकबा पवई थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।
2. शमशाद पुत्र आसमोहम्मद निवासी रकबा पवई थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।
3. नौशाद पुत्र आसमोहम्मद निवासी रकबा पवई थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।
4. गुड्डू उर्फ पिल्लू पुत्र जमालुद्दीन, निवासी रकबा पवई थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।